



रिहपाल बनाम बकरी

प्रा. पत्र उत्तराखण्ड निषेधाज्ञा

सु. न. 40/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहका हुक्म के जा
05.12.2025	<p>दिनांक 19.11.2025 को इकजाई पेशी होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान ने पत्रावली की आदेशिका पर "उभय पक्ष को दावे के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है" अंकित कर सहमति दी। उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र टी. आई. को स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 990, 991, 993 से 995, 1005 से 1008, 1023 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 7.3200 हैक्टर तन ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दावे के अंतिम निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> ( अनिल कुमार ) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;"><small>(नमूना) प्रकाशक कलक्टर (सीकर) श्रीमाधोपुर</small></p>	